उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-7/2021/आडिट-1-55/दस-2021-320(1)/2021
लखनऊ : दिनांक : 16 फरवरी,2021

कार्यालय-ज्ञाप

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतें,उ0प्र0 के पत्र संख्या-385/अ-5/2021, दिनांक 18.01.2021 द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ तथा उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ की लेखा परीक्षा हेतु किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: श्री राज्यपाल द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत श्री पदम जंग, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,मुख्यालय लखनऊ को उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ तथा उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान किया जाता है ।

उपरोक्त अधिकारी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-7/2021/आडिट-1-55(1)/दस-2021-320(1)/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज ।
2- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतें,उ0प्र0 लखनऊ ।
4- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, 29, कबीर मार्ग, (योजना भवन के निकट), लखनऊ ।
5- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड,पी0सी0यू0, सहकारिता भवन (विधान भवन चौराहा,) लखनऊ।
6- श्री पदम जंग, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, मुख्यालय लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज, उ0प्र0 को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in